16 से दो दिवसीय सिरपुर महोत्सव की तैयारी शुरू

महासमुंद (आरएनएस)। सिरपुर महोत्सव के आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में की। जानकारी के अनुसार सिरपुर महोत्सव का दो दिवसीय आयोजन 16 एवं 17 फरवरी को होगा। यह आयोजन कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम के लिए शासन के दिशा-निर्देशों के परिपालन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न विभागों के स्वसहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री सह-प्रदर्शनी से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। सिरपुर महोत्सव के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को बनाया गया है। एसडीएम महासमुंद सहायक नोडल अधिकारी होंगे। सिरपुर महोत्सव आयोजन के सिलसिले में हुई बैठक में कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा कि समारोह में प्रस्तुत होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिमामय हो। बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, ठाकुर, अपर कलेक्टर ओपी कोसरिया, डॉ नेहा कपूर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि मुख्य मंच को गरिमा अनुरूप आकर्षक रूप दिया जाए। व्यवस्थित ढंग से दुकानों का आबंटन किया जाए, साथ ही उन्होंने कहा कि पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग द्वारा सिरपुर के ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित प्रदर्शनी एवं आने वाले पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र भी स्थापित करने और ऐतिहासिक स्थलों के संबंध में जानकारी के लिए गाइड की भी व्यवस्था करने के संबंध में इन विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर ली जाए। कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं, गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी और प्रचार सामग्री वितरण करने कहा। स्वसहायता समूह के बिक्री सह-प्रदर्शनी के लिए अन्य जिलों के उत्कृष्ट स्वसहायता समूह एवं शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाए। महोत्सव के दौरान आने वाले सांस्कृतिक दल एवं कलाकारों के लिए ठहराने तथा भोजन की व्यवस्था एवं प्रतीक चिन्ह आदि की व्यवस्था कर ली जाए।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की व्यवस्था के साथ ही एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि महिला बाल विकास, हाथकरघा, कृषि,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आयुर्वेद, ग्रामोद्योग, शिल्प बोर्ड, जिला पंचायत से संबंधित स्व-सहायता समूहों के बिक्री सह-प्रदर्शनी लगाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम स्थल के लिए ले-आउट तैयार कर लिया जाए। यहां पर आने-जाने के लिए मार्ग पर्याप्त रूप से चौड़ा होना चाहिए, जिससे आवागमन में असुविधा न हो। यहां आने वाले लोगों के लिए पार्किंग, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था की जाए। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सुविधाओं की देखरेख के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिनमें विद्युत मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड, पेयजल टैंक, साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए। उन्होंने पेयजल टैंकर का क्लोरीनेशन करने और ग्रामीणों को सस्ते भोजन की व्यवस्था के लिए दाल-भात केंद्र भी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाने को कहा।

महत्वपूर्ण एवं खास

हवा की दिशा बदलने से तापमान में आएगी गिरावट, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटने की संभावना

रायपुर (आरएनएस)। फरवरी माह में मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के चलते मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना का प्रभाव होने के कारण अचानक मौसम में बदलाव होने के कारण जहां गुरुवार अचानक तापमान में वृद्धि होने से देर रात हल्की बारिश हुई वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते एक बार फिर हवा की दिशा बदलने से आने वाले 12 तारीख तक 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में फिर ठंड पड़ेगी। नम हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आने से ठंड पड़ेगी। छग में सबसे कम तापमान कल बलरामपुर 10.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस साल पिछले साल की अपेक्षा ठंड ज्यादा पडऩे के कारण अब तक गर्म कपड़ों की बिक्री में भी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के ऊपरी हवा के क्षेत्र में मजबूत चक्रवात बनने के कारण अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी और आएगी जिसके कारण 10, 11 एवं 12 फरवरी की रात को तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज होने के कारण शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर ठंड पड़ेगी।

कोरबा एवं अमृतसर के मध्य त्रि-साप्ताहिक ट्रेन अब सप्ताह में चार दिन चलेगी

रायपुर (आरएनएस)। रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल से होकर जाने वाली 18237/18238 कोरबा-अमृतसर त्रि-साप्ताहिक ट्रेन की सुविधा सप्ताह में 03 दिन मिल रही है। इस गाड़ी का परिचालन विस्तार करके सप्ताह में 04 दिन किया गया हैं। रेल मंडल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर ट्रेन कोरबा से दिनांक 17 फरवरी से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को चलेगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर-बिलासपुर ट्रेन अमृतसर से 19 फरवरी से प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को चलेगी।

12 तक किरन्दुल नहीं जाएगी ट्रेन

जगदलपुर (आरएनएस)। विशाखापटनम से जगदलपुर आने जाने वाली ट्रेन संख्या 18551/18552 सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर 11 फरवरी तक किरन्दुल नहीं भेजी जाएगी, इस दौरान ट्रेन जगदलपुर तक ही चलेगी। इस आशय के आदेश विशाखापटनम रेलमंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एके त्रिपाठी ने बुधवार को जारी आदेश में इसकी पुष्टि की है। इसी प्रकार किरन्दुल से विशाखापटनम चलने वाली ट्रेन संख्या 18552 किरन्दुल 10 से 12 फरवरी के बीच किरन्दुल तक संचालित नहीं की जाएगी। मंडल मुख्यालय ने यात्रियों को असुविधा न हो इसे ध्यान में रखकर दो दिन पहले ही पैसेंजर का परिचालन नहीं होने की जानकारी किरन्दुल-कोत्तावालसा रेल लाईन में शामिल सभी रेल स्टेशनों को आदेश भेज दिया गया है।

सडक़ हादसे में एसटीएफ जवान की, मौत

भिलाई (आरएनएस)। भिलाई के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में सडक़ दुर्घटना में एक एसटीएफ के जवान की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार साईं नगर स्थित अपना निर्माणाधीन मकान देखकर बाइक से घर लौट रहा था। वह जैसे ही चिखली के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार आई 20 कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। आस-पास के लोगों ने उसे तत्काल एस आर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी सीताराम ध्रुव ने बताया कि घटना मंगलवार देर शाम की है। राधिका नगर निवासी ओम प्रकाश दुबे (42 वर्ष) एसटीएफ में नौकरी करता है और बघेरा में पदस्थ है। उसका साईं नगर में निर्माणधीन मकान को देखने गया था उसके देखने के बाद देर शाम को अपने घर लौट रहा था।

ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले दो पैडलर्स को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवक बनारस जाकर ब्राउन शुगर लाते थे। उनके पास से 63 हजार रुपए कीमती 21 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ और कॉल डिटेल्स के जरिए बनारस के डीलर की तलाश में है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

स्क्क पारुल माथुर ने नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ नारकोटिक्स सेल बनाया है। टीम को शहर में गांजा सहित अन्य नशे का सामान बेचने वालों पर नगर रखने और उनकी धर-पकड़ करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम को गुरुवार की सुबह सूचना मिली कि एक युवक बनारस से यात्री बस में ब्राउन शुगर लेकर आ रहा है। टीम ने नेहरू चौक पर घेराबंदी कर बस से उतरने वाले जरहाभाठा निवासी आकाश खरे को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर उससे 21 ग्राम ब्राउन शुगर मिला।

पूछताछ में आकाश ने पुलिस को बताया वह मुंगेली के धरमपुरा निवासी राहुल सिंह बहेलिया के कहने पर बनारस से ब्राउन शुगर लाया था। इसके एवज में उसे 10 हजार रुपए मिले थे। उसने बताया कि राहुल ड्रग्स लेने आएगा। इसके बाद पुलिस ने नेहरू चौक पर नाकाबंदी की। थोड़ी देर में एक्टिवा से राहुल पहुंचा तो पुलिस ने आकाश की निशानदेही पर उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसकी एक्टिवा और तीन मोबाइल भी जब्त किए हैं। दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

सफेद चंदन की तस्करी करने वाले दो गिरफ्तार,100 किलो चन्दन लकड़ी बरामद

बिलासपुर (आरएएस)। छत्तीसगढ़ में सफेद चंदन लकड़ी की तस्कर करने का मामला सामने आया है। तस्कर तो पुलिस के चंगुल से बच निकले, लेकिन पुलिस ने 100 किलो से सफेद चंदन की लकड़ी जब्त कर ली है। चंदन की इस लकड़ी की कीमत 5 लाख रुपये बताई जा रही है।

रतनपुर थाना टीआई हरविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक बस स्टैंड में दो बोरियों में कुछ लेकर खड़े हैं। इस पर उन्होंने टीम भेजकर पता करने के निर्देश दिए। जब पुलिस बस स्टैंड पहुंची तो दोनों युवक बोरी को छोडक़र खेत की ओर भाग निकले।

इसके बाद पुलिस ने कुछ दूर तक दोनों का पीछा भी किया। हालांकि दोनों शख्स भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने जब बोरी को खोलकर तलाशी ली, तब उसमें से सफेद चंदन लकड़ी मिली। जिसे पुलिस ने वजन भी कराया। इसका वजन करीब 100 किलो पाया गया। फिलहाल पुलिस ने लकडिय़ों को जब्त कर लिया है। साथ ही तस्करों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।

दपूमरे महाप्रबंधक आलोक कुमार आज रेल मंडल का करेंगे वार्षिक निरीक्षण

❖ बिलासपुर-लखौली-रायपुर सेक्शन का करेंगे निरीक्षण

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार 11 फरवरी को रायपुर रेल मंडल का वार्षिक निरीक्षण करेंगे।

रेल मंडल रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष महाप्रबंधको द्वारा मंडलों के विभिन्न रेल खंडों में वार्षिक निरीक्षण किए जाते हैं। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार भी 11 फरवरी को रायपुर रेल मंडल का निरीक्षण करेंगे। इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान वे इस सेक्शन के साधन संसाधनों, रेलवे ट्रैक, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। रेलवे फाटक जिसमें हाइट गेज, रोड सरफेस, गेट बूम, हाइट स्पीड ब्रेकर, ड्यूटी पर तैनात गेटमैन से संरक्षा संबंधित पूछताछ, रेल ब्रिज एवं गैंग, रेलवे कालोनी आदि का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं, संरक्षा, सुरक्षा की सुनिश्चितता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, स्थानीय संगठनों व्यापारिक संगठनों से भी महाप्रबंधक मिलेंगे। निरीक्षण के दौरान दक्षिण महाप्रबंधक कुमार के साथ रायपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता, बिलासपुर मुख्यालय के सभी प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष सहित रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य की 338.79 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्ययोजना को मिली स्वीकृति

❖ 15वें वित्त आयोग के तहत मिली स्वीकृति

❖ स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा विस्तार

❖ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न

रायपुर (आरएनएस)। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के 338.79 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुख्य सचिव जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है।

स्वीकृत कार्ययोजना के तहत भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण, विभिन्न जांच-परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न संदर्भ केन्द्र, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एण्ड वेलनेश सेंटर का उन्नयन, शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए शहरी पॉलीक्लिनिक की स्थापना, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रेणुजी पिल्ले, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सु शहला निगार, सचिव वित्त अलरमेल मंगई डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएसईबी पुलिस की त्वरित कार्यवाही, 24 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग बालिका की गई बरामद

कोरबा (आरएनएस)। पुलिस चौकी सीएसईबी जिला कोरबा क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि प्रात: 5.00 बजे से उसकी नाबालिग पुत्री कहीं चली गई है घर पर नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सीएसईबी थाना कोतवाली जिला कोरबा में गुम इंसान क्रमांक 25/2022 एवं अपराध क्रमांक 107/22 धारा 363 भा द वि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं प्रकरण नाबालिग बालिका के गुमशुदगी से संबंधित होने पर तत्काल घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश कुमार साहू के पर्यवेक्षण में गुम अपहृत बालिका त्वरित पतासाजी हेतु निरीक्षक रामेंद्र सिंह थाना प्रभारी कोतवाली एवं निरीक्षक अनिल पटेल प्रभारी अधिकारी पुलिस चौकी सीएसईबी को निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के परिपालन में गुम अपहृत बालिका को त्वरित पतासाजी कर 8 फरवरी 2022 को घटना के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी कनन उर्फ करण पिता सत्यम ढेढ़े उम्र 19 साल निवासी चारपारा कोहडीया जिला कोरबा के कब्जे से बरामद किया गया है तथा वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर मामले के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 9 फरवरी 2022 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। साथ ही आरोपी का जेल वारंट बनने से जिला जेल कोरबा में दाखिल किया गया है। उक्त प्रकरण के गुम अपहृत बालिका के त्वरित बरामदगी तथा विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक अनिल पटेल, प्रधान आरक्षक 359 साहेब राम खटकर, आरक्षक 440 देव नारायण कुरे, महिला आरक्षक 426 अमरौतीन कुर्रे एवं 571 जीवन कँवर का विशेष योगदान रहा है।

तीन नाबालिगों का विवाह रोका गया : महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई

राजनांदगांव (आरएनएस)। जिले में तीन बाल विवाह होने की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम के द्वारा तत्काल बाल विवाह रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश के द्वारा मैदानी अमले को दल के साथ मौके पर त्वरित रवाना किया गया। मौके पर परियोजना अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी डोंगरगांव वीरेन्द्र सिंह साहू एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी चन्द्रकिशोर लाड़े, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख विनोद जंघेल, सेक्टर पर्यवेक्षक वासड़ी आईसीडीएस मोहला सुरैया कुरैशी व पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय सरपंच, पटेल व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देर रात बाल विवाह रोका गया। बाल विवाह कराने वाले परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि बालक-बालिकाओं की उम्र विवाह योग्य होने के उपरांत ही विवाह करेंगे। तीनों बाल विवाह रोकथाम में परियोजना अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी वीरेन्द्र सिंह साहू डोंगरगांव, सुनील साहू छुरिया एवं योगेश भगत छुरिया का विशेष योगदान रहा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सर्व परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन का सहयोग प्राप्त करते हुए बाल विवाह को रोका जावे तथा अविलम्ब जिला कार्यालय को सूचना दिया जाए, ताकि जिला स्तर से दल को बाल विवाह रोकथाम हेतु अविलम्ब मौके पर भेजा जा सके। बाल विवाह होने की सूचना मोबाईल नम्बर 8319964100, 7987100143 एवं चाईल्ड लाईन के टोल फ्री नम्बर 1098 पर सूचना देकर बाल विवाह रोकथाम में अपनी भागीदार देने हेतु जिले के समस्त निवासियों से अपील की जाती है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधान - इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के लड़कियों तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लडक़ों का विवाह बाल विवाह माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह किया जाना दंडनीय अपराध माना गया है। एक वयस्क पुरूष का विवाह किसी 18 वर्ष से कम उम्र आयु की लडक़ी के साथ बाल विवाह संपन्न होने पर बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरूष तथा बाल विवाह संपन्न कराने वालों को 2 वर्ष का कठोर करावास या 1 लाख का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सैद्धान्तिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU